कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 984 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 7 नवम्बर, 2015

सेवा में,

श्री सन्दीप,
पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सागर,
नि0ग्राम व पो0 नौगवाठग्गू निकट ममता कालोनी,
मुण्डेली चौराहा, तह0 खटीमा,
जिला उधमसिंहनगर।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 898 दिनांक 04 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या 01 जो इस कार्यालय से संबंधित है पर चाही गयी सूचना के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा – 126 की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

विशेष वाहक द्वारा
पत्रांक : 898 / रा.नि.आ.-1/1972 /2015

दिनांक 04-11-2015

सत्यमेव जयते
राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्ततराखण्ड, सचिवालय परिसर,
देहरादून।

महोदय,

श्री सन्दीप पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सागर, नि0 ग्राम व पो0 नौगवाठग्गू निकट ममता कालोनी, मुण्डेली चौराहा, तह0 खटीमा, जिला–ऊधमसिंह नगर का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 13.10.2015 जो आयोग में दिनांक 28.10.2015 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई **01 बिन्दु** की सूचना जो आपके विभाग से भी संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र की छायाप्रति।

04/11/15
(बी0पी0 कोठारी)
अनुभाग अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी।

संख्या– /रा0नि0आ0–1/1972/2015 तद्दिनांक। (पंजीकृत डाक से)

प्रतिलिपि– श्री सन्दीप पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सागर, नि0 ग्राम व पो0 नौगवाठग्गू निकट ममता कालोनी, मुण्डेली चौराहा, तह0 खटीमा, जिला–ऊधमसिंह नगर।

(बी0पी0 कोठारी)
अनुभाग अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

1972

820
29-10-15

सेवा में,

मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय

उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून

विषयः-- सूचना का अधिकार अधिनियम--2005 के अन्तर्गत।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम--2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना चाहता है जिसका विवरण इस प्रकार है:--

1-- चुनाव समय के दौरान किसी चुनाव क्षेत्र में मतदान से पूर्व चुनाव प्रचार कितने घण्टे पहले बन्द किये जाना अनिवार्य है।

अतः महोदय से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण दिये जाने की कृपा करें।

दिनॉक--13 /10 / 2015

प्रार्थी

Sandeep

सन्दीप पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सागर

नि0 ग्राम व पो0 नौगवाठग्गू निकट

ममता कालोनी, मुण्डेली चौराहा

तह0 खटीमा जिला--ऊधमसिंह नगर

संलग्नक :--

10/- रु0 का स्टाम्प

सं0-28 AA 875357, 13/10/2015

मूल रूप में संलग्न।

346/आ0/PS/2015

लोक सूचना अधिकारी

28-10-15

(सुबर्द्धन)

राज्य निर्वाचन आयुक्त

उत्तराखण्ड

श्री मोहन चन्द्र

स0 अ0 (अनु0-1)

29-10-15

[1][(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण ।]

स्पष्टीकरण---(1) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं ।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता [2]*** के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है ।]

[3][(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन---

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था ।]

[4][(4) खंड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है ।

अध्याय 3 --- निर्वाचन अपराध

[5][**125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना**---जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।]

[6][**125क. मिथ्या शपथपत्र आदि फाइल करने के लिए शास्ति**--कोई अभ्यर्थी, जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में,--

(i) धारा 33क की उपधारा (1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा ; या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है ; या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।]

[7][**126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त हाने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषध**---(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,---

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा ; या

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा ; या

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) जोड़ा गया ।
[4] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
[5] 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 24 द्वारा (20-9-1961 से) अंतःस्थापित ।
[6] 2002 का अधिनियम सं0 72 की धारा 5 द्वारा (24-8-2002 से) अंतःस्थापित ।
[7] 1996 के अधिनियम सं0 21 की धारा 10 द्वारा (1-8-1996 से) धारा 126 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ; कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(3) इस धारा में, "निर्वाचन संबंधी बात" पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।]

[1][**126क. निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम आदि के प्रकाशन और प्रसारण पर निर्बंधन**--(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति मे प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात् :—

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी ;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी :

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात् आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए :--

(क) "निर्गम मत सर्वेक्षण" से वह राय सर्वेक्षण अभिप्रेत है जो इस संबंध में है कि निर्वाचकों ने कैसे किसी निर्वाचन में मतदान किया या इस संबंध में है कि किसी निर्वाचन में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी की पहचान सभी मतदाताओं ने कैसे की है ;

(ख) "इलैक्ट्रानिक मीडिया" के अन्तर्गत इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन भी हैं, जिसमें इंटरनेट प्रोटोकाल टेलीविजन, सेटेलाइट, क्षेत्रीय या केबल चैनल, मोबाइल और ऐसा अन्य मीडिया सम्मिलित है जो सरकार के या निजी व्यक्ति अथवा दोनों के स्वामित्वाधीन है ;

(ग) "प्रिंट मीडिया" के अन्तर्गत कोई समाचारपत्र, पत्रिका या नियतकालिक पत्रिका, पोस्टर, प्लेकार्ड, हैंडबिल या कोई अन्य दस्तावेज भी है ;

(घ) "प्रसार" के अन्तर्गत किसी "प्रिंट मीडिया" में प्रकाशन या किसी इलैक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारण या प्रदर्शन भी है।

126ख. कंपनियों द्वारा अपराध--(1) जहां धारा 126क की उपधारा (2) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है ; और

(ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।]

---

[1] 2009 के अधिनियम सं० 41 की धारा 7 द्वारा (1-2-2010 से) अंतःस्थापित।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2015

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 899 दिनांक 04 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न श्री एस0के0 पाण्डेय, म0नं0 106/8, गली नं0–20, मो0 गंगानगर (सोमेश्वर मन्दिर प्लॉट के पीछे), ऋषिकेश, देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– श्री एस0के0 पाण्डेय, म0नं0 106/8, गली नं0–20, मो0 गंगानगर (सोमेश्वर मन्दिर प्लॉट के पीछे), ऋषिकेश, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

विशेष वाहक द्वारा
पत्रांक : 899 / रा.नि.आ.-1/1973 /2015

दिनांक 04-11-2015

सत्यमेव जयते
राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्ततराखण्ड, सचिवालय परिसर,
देहरादून।

महोदय,

श्री एस0के0 पाण्डेय, म0न0 106/8, गली नं0 20, मो0–गंगानगर (सोमेश्वर मंदिर प्लॉट के पीछे), ऋषिकेश, देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 26.10.2015 जो आयोग में दिनांक 29.10.2015 को प्राप्त हुआ है, को मूलरूप में संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई **07 बिन्दुओं** की सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र मूलरूप में।

(बी0पी0 कोठारी)
अनुभाग अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी।

संख्या– /रा0नि0आ0–1/1973/2015 तद्दिनांक। (पंजीकृत डाक से)
प्रतिलिपि– श्री एस0के पाण्डेय, म0न0 106/8, गली नं0 20, मो0–गंगानगर (सोमेश्वर मंदिर प्लॉट के पीछे), ऋषिकेश, देहरादून। पिन–2491201

(बी0पी0 कोठारी)
अनुभाग अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

1973

पंजीकृत/अतिमहत्वपूर्ण

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी,
उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग,
देहरादून।

824
29-10-15

विषय: '' जन सूचना अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत् प्रार्थनापत्र का प्रेषण''

महोदय,

निम्न बिन्दुओं से संबंधित सूचनाओं की अपेक्षा है,बिन्दु निम्नवत् हैं–

१– भारतवर्ष के किसी नागरिक को **'मतदाता सूची'** में नाम दर्ज करवाने एवं अपना **प्रथम** नवीन **'मतदाता परिचय पत्र'** बनवाने हेतु **प्रारूप–६** पर आवेदन करने के उपरॉत 'निर्वाचन आयोग'की नियमावली के अनुसार **कितनों दिनों** के भीतर उक्त द्रय कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए।

२– **प्रारूप–६** को क्रमशः दो बार **दिनॉक २५–०१–२०१५ व १७–०५–२०१५** को भली–भॉति भरने एवं समस्त आवश्यक पत्रजात **जैसे–जन्मतिथि प्रमाणपत्र,एड्रेस व आई प्रूफ सहित,परिवार के समस्त सदस्यों के मतदाता परिचयपत्र व वोटर लिस्ट की भाग संख्या व उसमें पारिवारिक सदस्यों के दर्ज नाम का प्रूफ संलग्न किये जाने** व **प्रार्थनापत्र की जॉच विधिवत्** हो जाने के बावजूद भी अब तक उक्त द्रय कार्य तहसील स्तर पर सम्पन्न न होने का क्या कारण है,एवं प्रार्थी के सुपुत्र के आवेदनपत्र पर अबतक क्या कार्यवाही तहसील–ऋषिकेश स्तर पर सम्पन्न की गयी है,और इस हेतु आवेदन पत्र पर दर्ज की गई **टिप्पणी की फोटोप्रति** भी प्रदान की जाये।

३– भारत सरकार के आवेदनपत्र **आन–लाइन प्रारूप–६** को **तीसरी बार दिनॉक ०२–०५–२०१५**को भरने के बाद भी न तो मतदाता परिचयपत्र बनाया गया और न ही वोटर लिस्ट में मेरे सुपुत्र का नाम जोडा गया है इस पर अब तक क्या प्रगति हुयी है,उसकी सूचना दी जाये। जबकि रिक्वेस्ट आई डी **158f42e7379587f** है।

४– माननीय निर्वाचन आयोग,उत्तराखण्ड के सख्त निर्देशों व अखबारों में विज्ञापन के बाद भी **ऋषिकेश तहसील** के अर्न्तगत् **मो० गंगानगर** से संबंधित हमारे **पोलिंग बूथ–श्री भरत मंदिर इंटर कालेज प्रॉगण** में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो क्रमशः **२५जनवरी १५ व १७ मई २०१५** को थे उन पर तत्संबंधित **बी०एल०ओ०की तैनाती** किन कारणों से नहीं की गई थी,जबकि अन्य मोहल्लों के बी०एल०ओ०अपनी उस दिन इ्यूटी पर उपस्थित थे।

५– ऐसे में सामान्य जनता का समय बर्बाद करने व उनको परेशानी में डालने वाले तथा इन **मतदाता तिथियों** पर भी अपनी **इ्यूटी से नदारद रहने वाले B.L.O.**व उनके उपर के पर्यवेक्षकों/कर्मचारियों के विरूद्ध अब तक माननीय निर्वाचन आयोग,उत्तराखण्ड ने क्या कार्यवाही की है, सूचना दी जाये।

६– B.L.O.(दूसरे आबंटित मोहल्लों के) **दिनॉक २५–०१–१५ को श्री संदीप जी, व दिनॉक १७–५–१५** को **श्रीमती शकुन्तला जी** द्वारा मेरे सुपुत्र का **आवेदन प्राप्त व जॉच करने के उपरॉत** उनके द्वारा इस प्रार्थनापत्र को तहसील में **किस तिथि** में व **किस कर्मचारी** के पास जमा किया गया था **उसका नाम,पदनाम व फोन नं०भी दें।** तदुपरॉत उस **तहसील कर्मी** ने इन्हे अब तक आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इसे **अग्रसारित** किया था या नहीं, प्रार्थनापत्र अब **किस स्तर पर लंबित है, उसकी सूचना दें।** एवं **अद्यतन प्रगति** से भी आवेदन कर्ता को अवगत करवाया जाये।

७– माननीय निर्वाचन आयोग,उत्तराखण्ड यहॉं यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त **द्रय तिथियों** में प्रत्येक B.L.O. के स्तर पर **कितने आवेदन पत्र ,प्रारूपवार** प्राप्त हुये थे तथा उन सभी पर **क्या कार्यवाही अब तक सम्पन्न हुयी है**।राष्ट्रीय महत्व के यह कार्यक्रम होने के बावजूद कहीं इनमें शिथिलतातो नहीं बरती जा रहीहै, इसकी सूचना दें।

श्री मोहनचन्द
स०नि०(का०)
29.10.15

प्रार्थी

दिनॉक– २६/१०/२०१५

सल्गनकः–
i–पोस्टल आर्डर संख्या 25F 727684
ii–प्रारूप–६ की प्राप्त रसीदें –२प्रति
iii–पारिवारिक मतदाता पर्ची –३ फोटोप्रति
IV.ऑनलाइन प्रारूप–६ जमा करने का प्रमाण

एस०के०पाण्डेय,
म०न०१०६/८,गली नं०२०,
मो०–गंगानगर,(सोमेश्वर मंदिर प्लॉट के पीछे),
ऋषिकेश (देहरादून),पिन–२४९२०१
विधान सभा क्षेत्र का नाम–२४ ऋषिकेश
मतदाता सूची भाग संख्या–६५
पारिवारिक सदस्यों के मतदाता कर्मांक–२६०,२६१,एवं २६२

Received 01 I.P.O
RS- 10/2
2/11/15

Receipt - 1

प्रारूप–6 पर प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

**श्री / श्रीमती / कुमारी सुशांत नील

**पता म॰नं॰ 106/8, गली नं॰ 20, मो॰- गंगानगर, (सोमेश्वर मंदिर प्लॉट के पीछे) निकट- ओवर हेड वॉटर टैंक, ऋषिकेश (देहरादून) पिन - 249201

दिनांक 25/01/2015

[signature]

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की ओर से आवेदन प्राप्त करने
वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

(पता)..

**आवेदक द्वारा भरा जाए

Receipt No - 2

प्रारूप–6 पर प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

**श्री / श्रीमती / कुमारी सुशांत नील

**पता म॰ नं॰ 106/8, गली नं॰ 20, मो॰ गंगानगर (सोमेश्वर मंदिर प्लॉट के पीछे) निकट - ओवर हेड वॉटर टैंक, ऋषिकेश (देहरादून), पिन - 249201

दिनांक 17/05/15

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की ओर से आवेदन प्राप्त करने
वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

[signature] 17-5-15

(पता)..

**आवेदक द्वारा भरा जाए

---

http://election.uk.gov.in/Default.aspx

ch Electoral Roll

http://election.uk.gov.in/Default.aspx

Electroll Roll Slip → 1

Chief Electoral Office, Uttarakhand

Search Electoral Roll

Grater Participation for a Stronger Democracy

Search Type ◉ District wise ○ AC wise

Select District 13 - Dehradun

Click on House No to get the List of Other Family members of that House No

Voter's Slip	AC No	Part No	Section No	Serial No	House No	Name (English)	Father/Husband Name	Name (Hindi)	Father/Husband Name (Hindi)	Date of Birth	Age	Gender	EPIC No
Show	24	65	1	262	106/8	Svadeep Pandey	Sanjay Kumar Pandey	स्वदीप	संजय कुमार		26	M	JGB2338093

Search By ○ Name ◉ EPIC No.

JGB2338093 Search

Electoral Roll Slip → 02

Chief Electoral Office, Uttarakhand

Search Electoral Roll

Grater Participation for a Stronger Democracy

Search Type ◉ District wise ○ AC wise

Select District 13 - Dehradun

Click on House No to get the List of Other Family members of that House No

Voter's Slip	AC No	Part No	Section No	Serial No	House No	Name (English)	Father/Husband Name	Name (Hindi)	Father/Husband Name (Hindi)	Date of Birth	Age	Gender	EPIC No
Show	24	65	1	260	106 / 8	Sanjay Kumar Pandey	Ganga Sagar Pandey	संजय कुमार	गंगा सागर		50	M	JGB2337095

Search By ○ Name ◉ EPIC No.

JGB2337095 Search

Total 1 record(s) found

Electoral Roll Slip → 03

Chief Electoral Office, Uttarakhand

Search Electoral Roll

Grater Participation for a Stronger Democracy

Search Type ◉ District wise ○ AC wise

Select District 13 - Dehradun

Click on House No to get the List of Other Family members of that House No

Voter's Slip	AC No	Part No	Section No	Serial No	House No	Name (English)	Father/Husband Name	Name (Hindi)	Father/Husband Name (Hindi)	Date of Birth	Age	Gender	EPIC No
Show	24	65	1	261	106/8	Beena Pandey	Sanjay Kumar Pandey	बीना	संजय कुमार		46	F	JGB2330926

Search By ○ Name ◉ EPIC No.

JGB2330926 Search

Total 2 record(s) found

Slip for online Form 6 copy

होम
Home

हमारे बारे में
About Us

संपर्क
Contact Us

Thanks for submitting forms with **ECI**

We will process your request, which you can track with request id 158f42e7379587f at our website trackstatus.html

Your form will be processed from 28th March onwards and status of the form will be visible there after.

Designed and Developed by C-DAC **| Copyright © 2015**

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

विशेष वाहक द्वारा
पत्रांक :898 / रा.नि.आ.-1/1972 /2015

दिनांक 04-11-2015

सत्यमेव जयते
राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्ततराखण्ड, सचिवालय परिसर,
देहरादून।
महोदय,

श्री सन्दीप पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सागर, नि0 ग्राम व पो0 नौगवाठग्गू निकट ममता कालोनी, मुण्डेली चौराहा, तह0 खटीमा, जिला–ऊधमसिंह नगर का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 13.10.2015 जो आयोग में दिनांक 28.10.2015 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई **01 बिन्दु** की सूचना जो आपके विभाग से भी संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र की छायाप्रति।

04/11/15
(बी0पी0 कोठारी)
अनुभाग अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी।

संख्या– /रा0नि0आ0–1/1972/2015 तददिनांक। (पंजीकृत डाक से)
प्रतिलिपि– श्री सन्दीप पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सागर, नि0 ग्राम व पो0 नौगवाठग्गू निकट ममता कालोनी, मुण्डेली चौराहा, तह0 खटीमा, जिला–ऊधमसिंह नगर।

श्री सेमवाल
30/11/15
S.O.

(बी0पी0 कोठारी)
अनुभाग अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

1972

820
29-10-15

सेवा में,

मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय

उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून

विषयः-- सूचना का अधिकार अधिनियम--2005 के अन्तर्गत।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम--2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना चाहता है जिसका विवरण इस प्रकार है:--

1-- चुनाव समय के दौरान किसी चुनाव क्षेत्र में मतदान से पूर्व चुनाव प्रचार कितने घण्टे पहले बन्द किये जाना अनिवार्य है।

अतः महोदय से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण दिये जाने की कृपा करें।

दिनाँक--13 /10 / 2015

प्रार्थी

Sandeep

सन्दीप पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सागर
नि0 ग्राम व पो0 नौगवाठग्गू निकट
ममता कालोनी, मुण्डेली चौराहा
तह0 खटीमा जिला--ऊधमसिंह नगर

संलग्नक :--

10/- रु० का स्टाम्प
सं०-28 AA 875357, 13/10/2015
मूल रूप में संलग्न)

346/आ0/PS/2015
लोक सूचना अधिकारी

28-10-15
(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड

श्री मोहम्मद
प्र० अ० (अनु०-1)

29-10-15

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1021 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 23 नवम्बर, 2015

सेवा में,

श्री राजीव नेगी,
समीक्षा अधिकारी, सैनिक कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित सूचना संलग्न प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
निर्वाचन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

महोदय,

कृपया अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत जिन विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन स्तर से "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 के **निर्गत होने की तिथि** से आतिथि तक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में प्रदान की गई शिथिलता से सम्बन्धित पत्रावली की समस्त नोट शीट, सम्बन्धित सुसंगत सेवा नियमावली तथा तत्सम्बन्धी आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस हेतु आवेदन शुल्क कुल ₹ 10 की धनराशि नकद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

दिनांक 09 नवम्बर, 2015

(राजीव नेगी)
समीक्षा अधिकारी, सैनिक कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

लेख

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

अपर सचिव/सं0मु0नि0अ0,

कृपया पूर्व पृष्ठ-1 के क्रम में पृष्ठ-2 पर कार्मिक अनुभाग की टिप्पणी का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1674/XXX(2)/2010 दिनांक 23-11-2010 के साथ संलग्न समसंख्यांक अधिसूचना, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण निमयावली, 2010 के क्रम में निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत कतिपय रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु शिथिलीकरण के क्रम में पृच्छा की गयी है कि:- **"किन-किन पदों पर पदोन्नति हेतु शिथिलीकरण अपेक्षित है तथा पोषक संवर्ग में कितने-कितने वर्ष की अर्हकारी सेवा निर्धारित है, संबंधित कार्मिकों द्वारा सेवानियमावली के अनुसार कितने वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है"।**

2- कार्मिक विभाग की पृच्छा के अनुरूप **पताका-ख** पर उपलब्ध विभाग द्वारा जारी कनिष्ठ सहायकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अपेक्षित विवरण निम्नवत है:-

a.	किन-किन पदों पर पदोन्नति हेतु शिथिलीकरण अपेक्षित है :-	**कनिष्ठ सहायक से प्रवर सहायक के पद पर।**
b.	पोषक संवर्ग में कितने-कितने वर्ष की अर्हकारी सेवा निर्धारित है :-	**न्यूनतम 05 वर्ष**
c.	संबंधित कार्मिकों द्वारा सेवानियमावली के अनुसार कितने वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है:-	

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	सेवा अभिलेखों के अनुसार कुल सेवावधि (31 अगस्त, 2011 को)
1-	श्री संजय कुमार, कनिष्ठ सहायक	05 वर्ष 24 दिन (निर्धारित सेवावधि पूर्ण)
2-	श्री दीपचन्द्र जोशी, कनिष्ठ सहायक	04 वर्ष 10 दिन
3-	श्रीमती सोनिया काला, कनि0सहा0	04 वर्ष 09 दिन
4-	श्री मोहन सिंह कोरंगा, कनि0सहा0	04 वर्ष 08 दिन
5-	श्री जवाहर सिंह, कनिष्ठ सहायक	04 वर्ष 08 दिन

"क" 3- उक्तानुसार कार्मिक अनुभाग की पृच्छा के क्रम में स्थिति स्पष्ट करते हुए शासनादेश संख्या 1674/XXX(2)/2010 दिनांक 23-11-2010 के साथ संलग्न समसंख्यांक अधिसूचना में जारी निर्देशों के अनुसरण में नियमानुसार उल्लिखित शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली पुनः प्रेषित की जानी प्रस्तावित है।

अतः कृपया सहमति की दशा में उक्तानुसार निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड में रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु शिथिलीकरण के संबंध में अनुमोदन हेतु पत्रावली सचिव एवं मु0नि0अ0 महोदया के माध्यम से कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सन्दर्भित करना चाहें।

PManori
5/9/2011

महोदया,
कृपया अंश "क" कार्मिक विभाग की सहमति/अनुमोदन हेतु सचिव महोदया के माध्यम से पत्रावली संदर्भित करना चाहें।

5/9/2011
S.O.

सचिव महोदया

(औजन्या)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(1)

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

कृपया पूर्व पृष्ठ 'क' अनुमोदित करना चाहें।

कार्मिक विभाग

6/9/11
(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कार्मिक अनुभाग-2 में टिप्पणी

अनुभाग

गत पृष्ठ-2 के क्रम में प्रशा०वि० द्वारा पृष्ठ-3 पर स्थिति स्पष्ट की गई है। पृष्ठ-3 के अंश 'ख' के अनुसार केवल 04 वरिष्ठ सहायकों को 01 वर्ष से कम अवधि का शिथिलीकरण पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि में दिया जाना प्रस्तावित है।

2- उक्त प्रस्ताव पृष्ठ-3 के अंश 'क' के कार्मिक विभाग की शिथिलीकरण नियमावली से आच्छादित है, अतः प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग की अनापत्ति प्रदान करना चाहें। प्रशा०वि० पदोन्नति से पूर्व शिथिलीकरण के आदेश निर्गत करेंगे।

7.9.2011
अनुसचिव, कार्मिक

6/IX/11

US(K)

07/09/2011
(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव
कार्मिक विभाग
उत्तराखण्ड शासन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

U.S.(K)

(२)

विभाग
पत्रावली संख्या

-5-

टीपें और आज्ञायें

कृ० कार्मिक के परामर्शानुसार शीघ्र कार्यवाही,

A-CEO-

[signature] 8/9/11

S.O

Put up immediately.

[signature] 13/9/11
(सौजन्या)
अपर सचिव, निर्वाचन
उत्तराखण्ड शासन

3

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

प्रालेख

अपर सचिव/सं0मु0नि0अ0

महोदया, जिला निर्वाचन कार्यालयों में रिक्त प्रवर सहायक के पदों पर एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर दिनांक 01 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हो रही परिणामी रिक्ति के सापेक्ष आज दिनांक 19 सितम्बर, 2011 को मध्यान्ह 12.00 बजे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक (DPC) आयोजित की गई है। पदोन्नति समिति के लिए टिप्पणी के आलेख (पदवार अलग-अलग) पत्रावली पर दांयी ओर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

19/9/2011
S.O.

आज DPC का Meeting हुआ। इस में यह decision हुआ की, performance entry complete नही है। अतः सभी का entry complete करके put up करें।

(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

S.O.

4

प्रालेख

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

<u>अपर सचिव/सं0मु0नि0अ0</u>

महोदया, गत टिप्पणी **पृष्ठ संख्या-6** पर पारित आपके आदेश के अनुपालन में पत्र संख्या-551 दिनांक 19 सितम्बर, 2011 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून/पौड़ी गढ़वाल से निम्नलिखित कार्मिकों की उल्लिखित वर्षो की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई:-

1- श्री अरूणेश पैन्यूली, प्रवर सहायक जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून, **(वर्ष-2009-10 एवं 2010-11)**

2- श्री संजय कुमार, कनि0 सहायक, जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून **(वर्ष-2009-10 एवं 2010-11)**

3- श्री दीपचन्द्र जोशी, कनि0 सहायक, जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून **(वर्ष-2009-10 एवं 2010-11)**

4- श्रीमती सोनिया बहुगुणा,कनि0 सहायक जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून **(वर्ष-2009-10 एवं 2010-11)**

5- श्री जवाहर सिंह, कनि0सहायक जिला निर्वाचन कार्यालय पौड़ी गढ़वाल **(वर्ष-2007-08 से 2009-10 तक)**

2- उपरोक्त कार्मिकों की वांछित वित्तीय वर्षो की वाषिक गोपनीय प्रविष्टि प्राप्त हो चुकी है, जिसके क्रम में अब विभागीय पदोन्नति समिति **(DPC)** की बैठक के लिए **तिथि और समय** निर्धारित की जानी निवेदित है।

अतः सहमति की दशा में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के 01 पद पर एवं प्रवर सहायक के 05 पदो पर (04 उपलब्ध रिक्ति एवं 01 परिणामी) रिक्ति पर पदोन्नति समिति की बैठक (DPC) के लिए तिथि एवं समय निर्धारित करना चाहें।

01/11/2011
S.O.

8/11/2011
11.00 A.M.

4/11/2011
(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

सचिव महोदया

4/11/11
(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

5

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

<u>अपर सचिव/सं0मु0नि0अ0</u>

महोदया, कृपया गत टिप्पणी पृष्ठ संख्या-07 पर सचिव एवं मु0नि0अ0 महोदया के अनुमोदन दिनांक 04 नवम्बर, 2011 के अनुपालन में दिनांक 08 नवम्बर, 2011 को पूर्वान्ह 11.00 बजे डीपीसी की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु डीपीसी के सदस्यों को सम्बोधित पत्रालेख तैयार किया गया है, जिस पर सचिव एवं मु0नि0अ0 महोदया के हस्ताक्षर निवेदित है।

अतः सहमति की दशा में उक्तानुसार पत्रालेख पर सचिव एवं मु0नि0अ0 महोदया के हस्ताक्षर हेतु पत्रावली संदर्भित करना चाहें।

4/11/2011
S.O.

4/11/2011
(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

सचिव महोदया

5/11/11
(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

16

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

अपर सचिव/सं0मु0नि0अ0

महोदया, कृपया **"पताका-क"** पर विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति दिनांक 08 नवम्बर, 2011 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में प्रवर सहायक के पद पर वेतनमान 4000-100-6000 (यथा पुनरीक्षित वेतनमान-5200-20200 + 2400) में कार्यरत **श्री अरूणेश पैन्यूली** को नियमानुसार **सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये- 5500-175-9000 (9300-34800+4200) में पदोन्नति** की संस्तुति की गई है।

2- उक्त के अतिरिक्त **"पताका-ख"** पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत निम्न कार्मिकों को प्रवर सहायक के पद पर वेतनमान 4000-100-6000 (यथा पुनरीक्षित वेतनमान-5200-20200 + 2400) में पदोन्नत किए जाने की संस्तुति की गई है:-

i-श्री संजय कुमार, क0स0,जि0नि0का0 देहरादून (उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष)
ii-श्री दीपचन्द्र जोशी, क0स0,जि0नि0का0 देहरादून (उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष)
iii-श्रीमती सोनिया बहुगुणा, क0स0,जि0नि0का0 देहरादून (उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष)
iv-श्री जवाहर सिंह,क0स0,जि0नि0का0 पौड़ी (उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष)
v-श्री मोहन सिंह कोरंगा,क0स0,जि0नि0का0 नैनीताल (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)

3.1- जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री अतर सिंह पंवार, अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी में स0जि0नि0अ0 का पद रिक्त है, जिस पर पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अरूणेश पैन्यूली की तैनाती की जा सकती है।

3.2- **"पताका-ग" पर** सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून के पत्र संख्या-281 दिनांक 19 नवम्बर, 2011 के साथ श्री अरूणेश पैन्यूली, प्रवर सहायक जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2011 अवलोकनीय है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए 31 मई, 2012 (छ: माह) तक पदोन्नति का पद ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए 31 मई, 2012 तक जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में ही प्रवर सहायक के पद पर यथावत रखने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में श्री पैन्यूली द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2011 को मु0नि0अ0/सं0मु0नि0अ0 महोदया के समक्ष उपस्थित हो कर भी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए यथा स्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया गया। उक्त क्रम में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में श्री पैन्यूली को 31 मई, 2012 तक जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में ही प्रवर सहायक के पद पर यथावत रखने का प्रस्ताव है।

4.1- वर्तमान में निम्नलिखित जिला निर्वाचन कार्यालयों में प्रवर सहायक वेतनमान 4000-100-6000 (यथा पुनरीक्षित वेतनमान-5200-20200 + 2400) के पद रिक्त हैं:-

प्रालेख

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

क्र.सं.	जिला निर्वाचन कार्यालय	प्रवर सहायक के रिक्त पदों की संख्या
1.	देहरादून	02 (दो)
2.	अल्मोड़ा	01 (एक)
3.	पिथौरागढ़	01 (एक)
	कुल योग-	**04 (चार)**

4.2- पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर प्रस्तर-2 में उल्लिखित कार्मिकों यथा:-

i-श्री संजय कुमार, क0स0,जि0नि0का0 देहरादून (उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष)
ii-श्री दीपचन्द्र जोशी, क0स0,जि0नि0का0 देहरादून (उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष)
iii-श्रीमती सोनिया बहुगुणा, क0स0,जि0नि0का0 देहरादून (उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष)
iv-श्री जवाहर सिंह,क0स0,जि0नि0का0 पौड़ी (उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष) को उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति प्रदान करते हुए तैनात किया जा सकता है।

4.3- **प्रस्तर-2 के क्रमांक V पर** उल्लिखित कार्मिक को पदोन्नति समिति के द्वारा परिणामी रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति की संस्तुति की गई थी, किन्तु श्री अरूणेश पैन्यूली, प्रवर सहायक, जि0नि0का0 देहरादून की सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त हो रही परिणामी रिक्ति श्री पैन्यूली द्वारा पदोन्नति का पद ग्रहण न करने के फलस्वरूप अभी अप्राप्त है जिस कारण प्रस्तर-2 के क्रमांक V पर उल्लिखित श्री मोहन सिंह कोरंगा, क0स0 जि0नि0का0 नैनीताल को अभी पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती है। श्री अरूणेश पैन्यली के स0जि0नि0अ0 के पद पर पदोन्नति ग्रहण करने के पश्चात ही रिक्त पद पर श्री कोरंगा को पदोन्नत किया जा सकेगा।

5- वर्तमान में फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी समयबद्ध और महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त सम्बन्ध में मु0नि0अ0महोदया / सं0मु0नि0अ0 महोदया के साथ वार्ता के सुअवसर पर प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पदोन्नति समिति की संस्तुति के फलस्वरूप प्रस्तर-4.2 में उल्लिखित कार्मिकों को प्रवर सहायक के पद पर वेतनमान 4000-100-6000 (यथा पुनरीक्षित वेतनमान-5200-20200 + 2400) में पदोन्नति के फलस्वरूप उनके सम्मुख अंकित जिला निर्वाचन कार्यालयों में तैनात किए जाने का प्रस्ताव है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम और वर्तमान पद तथा श्रेणी	वर्तमान तैनाती जनपद	प्रवर सहायक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती हेतु प्रस्तावित जनपद
1.	श्री संजय कुमार, कनिष्ठ सहायक अ.पि.वर्ग	देहरादून	देहरादून रिक्त पद के सापेक्ष
2.	श्री दीपचन्द्र जोशी कनिष्ठ सहायक, सामान्य	देहरादून	देहरादून रिक्त पद के सापेक्ष
3.	श्रीमती सोनिया बहुगुणा कनिष्ठ सहायक, सामान्य	देहरादून	देहरादून अल्मोड़ा में रिक्त पद के सापेक्ष
4.	श्री जवाहर सिंह कनिष्ठ सहायक, अ.जा.	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी गढ़वाल पिथौरागढ़ में रिक्त पद के सापेक्ष

प्रालेख

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का पदोन्नति/तैनाती आदेशालेख तैयार किया गया है जिस पर सचिव एवं मु0नि0अ0 महोदया के हस्ताक्षर निवेदित हैं।

अतः सहमति की दशा में पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर प्रस्तर-5 में उल्लिखित तालिका में इंगित कार्मिकों को प्रवर सहायक के पद पर वेतनमान 4000-100-6000 (यथा पुनरीक्षित वेतनमान-5200-20200 + 2400) में पदोन्नति के फलस्वरूप उनके सम्मुख अंकित जिला निर्वाचन कार्यालयों में तैनात किए जाने हेतु सचिव एवं मु0नि0अ0 महोदया का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ आदेशालेख पर हस्ताक्षर निवेदित हैं।

22/11/2011
S.O.

22/11/2011
(सौजन्या)
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

सचिव महोदया

22/11/11
(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

9

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

अपर सचिव/सं0म0नि0अ0

महोदया, अवगत कराना है कि, जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री विनय कुमार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्ति हो चुके हैं जिस कारण जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में ADEO का पद रिक्त चल रहा है। इसी प्रकार जनपद उत्तरकाशी में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के पद पर कार्यरत सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 से जनपद उत्तरकाशी में भी ADEO का पद रिक्त चल रहा है।

2- यह भी अवगत कराना प्रासंगिक होगा कि दिनांक 08 नवम्बर, 2011 को सम्पन्न हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में प्रवर सहायक के पद पर कार्यरत श्री अरूणेश पैन्यूली को ADEO के पद पर समिति के द्वारा पदोन्नति की संस्तुति की गई थी किन्तु श्री पैन्यूली की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें ADEO के पद पर तैनाती नहीं दी गई थी, जिसका टिप्पणी पृष्ठ संख्या-9 पर भी उल्लेख किया गया है। श्री पैन्यूली के द्वारा अपने प्रत्यावेदन में दिनांक 15 जुलाई, 2013 तक जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में ही प्रवर सहायक के पद पर यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया था। **इस प्रकार अब केवल सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के एक पद पर DPC करवाई जाने का प्रस्ताव है।**

अत: सहमति की दशा में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के एक पद के लिए DPC करवाए जाने हेतु DPC की तिथि एवं समय निर्धारित करना चाहें।

B. S. Rawat
26-9-2013

महोदया,
कृपया DPC हेतु तिथि, समय निर्धारित करना चाहें।

26/9/13
S.O

प्र. सचिव

3/10/13 – 11 a.m.

26/9
(...)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

26/9/13
(...)
... एवं
... निर्वाचन अधिकारी

10